

पत्रांक 1/147/नीलामी/08-09-स्मा०

भारत सरकार

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

पटना अंचल, जे० सी० रोड

पटना, दिनांक

निविदा—सह—नीलामी सूचना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उप अंचल, कुम्हरार, जिला—पटना अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित रथल बुलन्दीबाग के तालाब में मछली पालने/पकड़ने, घास की कटाई एवं उसकी साफ—सफाई हेतु दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 (दो साल) की अवधि के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक उम्मीदवार बोली लगाने हेतु इस बावत नियम व शर्तें तथा निविदा प्रपत्र 500—(पॉच सौ रुपया) मात्र का भुगतान कर (जो लौटाया नहीं जाएगा) संरक्षण सहायक का कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल, कुम्हरार, पटना एवं अंचल कार्यालय, जे०सी० रोड, अंटा घाट पटना से दिनांक 22.12.2015 से 28.12.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। सभी निविदा प्रपत्र दिनांक 29.12.2015 को 3:00 बजे अपराह्न तक अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, जे० सी० रोड, अट्टा घाट, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा जो उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में अधीक्षण पुरातत्वविद् के कार्यालय कक्ष में उपस्थित निविदा दाताओं/बोली लगाने वाले के समक्ष खोली जाएगी और बोली लगायी जाएगी।

प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ 5,000/- रुपये (पॉच हजार रुपये) मात्र का डिमान्ड ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी) अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना, जिसका भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पटना के नाम देय हो, जमा करना होगा। बिना अर्नेस्ट मनी की निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा—सह—नीलामी में उच्चतम राशि बोलने वाले सफल व्यक्ति को प्रस्तावित राशि तत्काल जमा करना होगा अन्यथा उनकी निविदा रद्द कर दी जाएगी। सफल निविदाकर्ता को अर्नेस्ट मनी की राशि निविदा की निर्धारित अवधि दिनांक 31.12.2017 के बाद लौटायी जाएगी।

अधीक्षण पुरातत्वविद् ने जनहित में, निविदा काल के दौरान आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी शर्त को परिवर्तन करने का अधिकार तथा किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

अधीक्षण पुरातत्वविद्

मूल्य: रुपया 500/-

(रुपया पाँच सौ) मात्र

निविदा प्रपत्र सं0

निविदा प्रपत्र

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना के उप अंचल, कुम्हरार, जिला-पटना स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल, बुलन्दीबाग के तालाब में मछली पालने/पकड़ने, घास की कटाई एवं साफ-सफाई हेतु अनुज्ञाप्ति के मंजूरी हेतु निविदा।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
द्वारा— अधीक्षण पुरातत्वविद,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
पटना अंचल, जे०सी० रोड,
अन्ता घाट, पटना।

मैं/हमलोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल, कुम्हरार, पटना अंतर्गत बुलन्दीबाग, पटना, बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ सफाई हेतु ज्ञापन में अन्तर्विष्ट अवधि के लिए अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ अनुज्ञाप्ति के मंजूरी हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ/हैं।

(क) विवरण — उप अंचल, कुम्हरार, पटना अंतर्गत बुलन्दीबाग, पटना, बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ-सफाई हेतु अनुज्ञाप्ति।

(ख) अवधि — दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक की अवधि के लिए अनुबंध।

(ग) अग्रिम राशि — रुपये (रुपये)
.....) डी०डी० सं० दिनांक ...

(घ) निविदित राशि — रुपये (शब्दों में)—
.....

मैं/हमलोग अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ दिनांक से तक की संविदा की अवधि के लिए निविदा करता हूँ/हैं।

मैं/हमलोग अनुबंध के ज्ञापन में अन्तर्विष्ट निबंधन एवं शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ/हैं, जो मेरे/हमलोग द्वारा पूर्णरूप से पढ़ा एवं समझा गया है। भूल/चूक की स्थिति में, मेरे/हमलोगों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि, राष्ट्रपति, भारत सरकार या उनके उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाएगा। मैं/हमलोग, निविदा प्रपत्र में संलग्न अनुबंध के निष्पादन का वचन देता हूँ/देते हैं।

मैं/हमलोग राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रदत्त रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ अग्रिम राशि के रूप में जमा कर रहा हूँ/हैं, जो अनुबंध ज्ञापन के नियम सं0 6 के तहत तथा सफल निविदा के स्थिति में, प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित होगी या जिसकी पूरी राशि, बिना किसी पूर्वाग्रह के, भारत के राष्ट्रपति या उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाए।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक:—

गवाह:—

पता एवं व्यवसाय:—

स्वामित्व, बिक्री की स्थिति में निविदा स्वयं स्वामी द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए या उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा। फर्म साझेदारी की स्थिति में मध्यस्थ नियम के तहत साझेदारों को आपसी अनुबंध—दस्तावेज के आधार पर, निविदा सभी साझेदारों द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि निविदाकर्ता/निविदाकार किसी कम्पनी के मालिक हैं तो निविदा एवं अनुबंध पर स्वयं मालिक को हस्ताक्षर करना होगा।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधीक्षण पुरातत्त्वविद का कार्यालय उपरोक्त निविदा स्वीकार करता है।

:3:

निबंधन एवं शर्तें

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक उप अंचल, कुम्हरार अंतर्गत बुलंदीबाग, संदलपुर, जिला—पटना, बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ—सफाई हेतु दिनांक **01.01.2016** से **31.12.2017** तक **2 वर्ष** की अवधि के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र का **मूल्य 500** रुपये के साथ अनुज्ञाप्ति निर्गत हेतु मुहरबंद निविदा आवंटित करता है। निविदाकार/निविदाकर्ता को निम्नलिखित अनुबंध मान्य होगा।
2. निविदाकार/निविदाकर्ता को उप अंचल कुम्हरार अंतर्गत बुलंदीबाग, संदलपुर, जिला—पटना, बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं घास की कटाई को आरंभ करने के पूर्व उचित मुल्य के स्टाम्प पेपर के साथ लिखित अनुबंध करना होगा। स्टाम्प पेपर एवं निबंधन शुल्क का खर्च स्वयं निविदाकार द्वारा देय होगा। निविदा स्वीकार करने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निविदाकार को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, निविदाकार द्वारा जमा राशि निम्नलिखित शर्तों के तहत जब्त कर लिया जाएगा।
3. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार की जाएगी, उन्हें संविदा—प्रपत्र में दर्शाये गये अनुज्ञाप्ति के शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
4. दिनांक **29.12.2015** को **3:00** बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदा प्राप्त किया जाएगा तथा उसी दिन **3:30** बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकार/डाककर्ता के उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी एवं बोली लगायी जाएगी।
5. अव्यस्क द्वारा की गई निविदा तब तक स्वीकार नहीं होगी, जबतक कि उसकी ओर से अभिभावक द्वारा निविदा हस्ताक्षरित नहीं होगी।

6. निविदाकार/निविदाकर्ता को अग्रिम राशि के रूप में किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त 5000/- (रुपया पॉच हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा करना होगा, जो असफल निविदाकार को वापस कर दिया जाएगा। यह अग्रिम राशि, किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय होना चाहिए। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसके अग्रिम राशि के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट को लौटाया नहीं जाएगा तथा इस राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित समझा जाएगा। वैसे सफल निविदाकार की अग्रिम राशि, जो अनुज्ञाप्ति को अस्वीकार करेगा या जो अनुबंध-निष्पादन में असफल होगा या जो निविदा शुल्क जमा नहीं करेगा, जब्त कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ-सफाई के लिए एक विशेष अवधि दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक के लिए अनुज्ञाप्ति प्रदान की जाती है, जो अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
8. निविदा अगर किसी फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में संस्था के प्रत्येक साझेदार द्वारा निविदा हस्ताक्षरित होगा। किसी साझेदार की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा निविदा हस्ताक्षरित होगा तथा संस्था के साझेदारों को स्पष्ट करना होगा कि संस्था भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
9. निविदा में दर्शायी गयी राशि अंकों एवं शब्दों, दोनों में दर्शाना होगा।
10. किसी भी परिस्थिति में निविदा शुल्क में कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी।

:4:

11. अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल के पास बिना कोई कारण दर्शाये निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को उपरोक्त कार्य हेतु अनुज्ञाप्ति अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. सफल निविदाकार के निविदा स्वीकार होने पर उन्हें अग्रिम के रूप में अनुज्ञाप्ति राशि जमा करना होगा, जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना में देय होगा।

25. सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही मछली पकड़ने का कार्य करना होगा। यदि निविदाकार के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है और अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना द्वारा सही पाया जाता है तो अनुज्ञाप्ति राशि लौटाए बिना अनुज्ञाप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा अनुज्ञाप्ति राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जैसा कि उपरोक्त पैरा-2 में अन्तर्विष्ट है।
26. निविदाकार संरक्षित क्षेत्र में खुदाई/उत्थनन कार्य नहीं करेगा, लेकिन तालाब में पानी रखने हेतु कार्य के लिए अनुमति दी जाती है लेकिन 1 फीट की गहराई से अधिक के लिए नहीं। खुदाई के दौरान अगर निविदाकार को पुरातात्त्विक अवशेष प्राप्त होता है तो उसकी सूचना तत्काल संरक्षण सहायक/केयर टेकर/फोरमैन को देगा तथा खुदाई कार्य तब तक बंद रहेगा तब तक कि रथल का निरीक्षण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा।
27. मछली पालने एवं पकड़ने के दौरान अगर स्मारक को कोई नुकसान होता है तो अनुज्ञाप्तिदाता द्वारा निर्धारित क्षति को निविदाकार द्वारा क्षति पूर्ति किया जाएगा।
28. चेक या नकद द्वारा भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार्य होगा।
29. किसी विवाद की स्थिति में विवाद महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली को अग्रसारित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
30. यह समझा जाएगा कि निविदाकार द्वारा निविदा करने से पहले अनुबंध में दर्शाये गये सभी निबंधन एवं शर्तों को अध्ययन कर लिया है तथा उसके अनुपालन हेतु मान्य है।

मैं, उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ एवं अनुपालन हेतु वचन देता हूँ।

(निविदाकार का हस्ताक्षर)

पूरा नाम एवं पता

